राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : ......815/2014.. जिला : जयपुर..........

मैसर्स डी.जी.केबल नेटवर्क (इण्डिया)प्रा.लि.जयपुर बनाम वा.क.अ.प्रतिकरापवंचन,जोन–तृतीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री मदन लाल ,सदस्य

04.06.14

अपीलार्थी की ओर से श्री आर.सी.अग्रवाल एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा की अधिनियम की धारा 25,26,55 एव 61 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2014 को पारित कर कायम की गई मांग राशि रू. 10,31,186/– में से रू. 6,54,741/– को स्थगित रखते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि रू. 3,45,715/– पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए वसूली योग्य मांग राशि रू. 3,45,715/–की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि रू. 10,31,186/– के स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रू. 6,54,741/– की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली योग्य रू. 3,45,715/– पर रोक नही लगाने के सम्बन्ध में अपने अपीलाधीन आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किया हैं । अतः उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित स्थगन हेतु राशि एवं शेष वसूली योग्य रू. 3,45,715/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में नियमानुसार समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त वसूली मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

4.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य